रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, नवम्बर 28—दिसम्बर 4, 2010, शनिवार/अग्रहायण 7—अग्रहायण 13, 1932
No. 49] NEW DELHI, NOVEMBER 28—DECEMBER 4, 2010, SATURDAY/AGRAHAYANA 7—AGRAHAYANA 13, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 215.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, संयुक्त निदेशक (भाषा) भर्ती नियम, 2004 में :—

(i) नियम 2 में :—

(क) पार्श्व शीर्षक में "वेतनमान" शब्दों के पश्चात्, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएं

(ख) "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (भाषा)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. के वेतन में ऐसा उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा या ऐसी तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर पुनरीक्षित वेतन की संरचना विस्तारित है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी श्रेणी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 14034/55/2009-रा.भा. (प्रशि.)]

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र सा.का.नि. 74 तारीख 1 मार्च, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 144, तारीख 21 मार्च, 2004 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 29th November, 2010

G.S.R. 215.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Joint Director (Language) Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Joint Director (Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Joint Director (Language), Recruitment Rules, 2004, —

(i) In rule 2,—

(a) in the marginal heading, for the words "scale of pay", the words "Pay Band and Grade Pay/Scale of pay" shall be substituted;

(b) for the words "scale of pay", the words "Pay Band and Grade Pay/Scale of pay" shall be substituted;

(ii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Joint Director (Language)	01* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion	**Promotion :** Deputy Director (Hindi Teaching Scheme) in Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years' regular Service in the Grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman or a Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Department of Official Language —Member 3. Joint Secretary, Department of Official Language —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 14034/55/2009-OL(Trg.)]

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

Foot Note : The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. No. 74, dated the 1st March, 2004 and subsequently amended vide G.S.R. No. 144, dated the 21st March, 2004.)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 216.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2005 में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात :–

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (राजभाषा)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'क'), राजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सम्मिश्र पद्धति (प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति)	**प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति :** 1. केन्द्रीय/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या

(12)

(ii) वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 या समतुल्य वेतन मान में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं ।

(ख) जिनके पास निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी व हिन्दी विषयों के साथ साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

(ii) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य और/या अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का पांच वर्ष अनुभव, तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को वरीयता,

या

हिन्दी के अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव

2. वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 के वेतनमान में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (राजभाषा) भी जिन्होंने श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, विचार किए जाने के पात्र होंगे, और यदि पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा । प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गयी सेवा वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित ततस्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उसके जहां एक या एक से अधिक पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 21/08/2009-केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड]

विनीत एब्राहाम, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. सं. 21 तारीख 3 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd November, 2010

G.S.R. 216.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Deputy Director (Official Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2005, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (Official Language)	01* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 in the scale of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
Composite method (Deputation plus Promotion).	**Deputation plus Promotion :** (1) Officers from the Central/State Governments and Union Territories :— (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department, OR (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the grade scale of pay of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 in pay band 3 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under : (i) Master's Degree of a recognized university in Hindi with English as a subject at the degree level; OR Master's Degree of a recognized university in English with Hindi as a subject at the degree level; OR Master's Degree of a recognized university in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level; OR Master's Degree of a recognized university in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level; OR Master's Degree of a recognized university in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level; and (ii) Five years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature; OR Five years' experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi. (2) The Departmental Assistant Director (Official Language) in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3, with five years regular service in the grade will also be eligible for consideration and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.) **Note :** For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to

(12)
1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 21/08/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide G.S.R. 21, dated the 3rd January, 2005.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 217.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) भर्ती नियम, 1972 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन ग्रेड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी)	14* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ख' अराजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रुपए और ग्रेड वेतन 4600 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-भौतिकी या अनुप्रयुक्त भू-भौतिकी में मास्टर डिग्री । **वांछनीय :** भूमिगत जल खोज से संबंधित भू-भौतिकी संबन्धी अन्वेषणों का दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में कारण लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन दिया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 9300—34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में अपनी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों या समतुल्य, (ख) जो स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो । (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि के लिये समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. वैज्ञानिक 'घ', केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, के स्तर का एक अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 23/31/2009-केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड]

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

New Delhi, the 9th November, 2010

G.S.R. 217.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board Senior Technical Assistant (Geophysics) Recruitment Rules, 1972, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Geophysics) in the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Geophysics), Group 'B' post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the posts, its classification, pay band and grade pay or the pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Technical Assistant (Geophysics)	14* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with plus Grade Pay Rs. 4600.	Not applicable	Not applicable	up to 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential :— Master's degree in Geophysics or applied Geophysics from a recognized university. **Desirable :—** Two years experience of Geophysical investigations related to ground water exploration. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two year

Method of recruitment : Whether by direct or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grade from which promotion/ deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8). (The maximum limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :— 1. Chairman, Central Ground Water Board —Chairman 2. Director (Admininstration), Central Ground Water Board —Member 3. An Officer of the level of Scientist 'D' Central Ground Water Board —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 23/31/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 218.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चौकीदार) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में, चौकीदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, चौकीदार, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चौकीदार	131* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 1800 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

(7)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
परिवीक्षा और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष (ii) समूह क अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23/05/2009-केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड]

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 2010

G.S.R. 218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Chowkidar) Recruitment Rules, 1977, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chowkidar in the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Chowkidar Group 'C' post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the posts, its classification, pay band and grade pay or the pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chowkidar	131* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1800.	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of General candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date

	(7)
	for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** In case of recruitment made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation from a recognised Board or equivalent	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering probation and confirmation consisting of :— 1. Director (Admininstration), Central Ground Water Board —Chairman 2. Group 'A' Officer, Central Ground Water Board —Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member	Not applicable.

[F. No. 23/05/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 219.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (झाड़ूकश) भर्ती नियम, 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में, सफाईवाला के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सफाईवाला [illegible] भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति, —

(क) [illegible] जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) [illegible] जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार [illegible] है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन [illegible] है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—[illegible] यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध [illegible] किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई [illegible], आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सफाईवाला	23* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए धन ग्रेड वेतन 1800 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख

(7)
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ; **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए, समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. समूह क अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23/08/2009-केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड]

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 2010

G.S.R. 219.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Sweeper) Recruitment Rules, 1976, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Safaiwala in the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Safaiwala, Group 'C' post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Safaiwala	23* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1800.	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of General candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date

(7)
for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation from a recognised Board or equivalent.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation, consisting of :— 1. Director (Admininstration), the Central Ground Water Board —Chairman 2. A Group 'A' Officers of the Central Ground Water Board —Member 3. Administrative Officer, the Central Ground Water Board —Member	Not applicable.

[F. No. 23/08/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 220.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फरक्का बांध परियोजना में वित्त अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बांध परियोजना में वित्त अधिकारी (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं .

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है, सेवा पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त अधिकारी	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	15600-39100 रुपए (वेतन बैंड)+ 6600 रु. (ग्रेड वेतन)	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी संवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने	लागू नहीं होता

	(6)
	के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें वाणिज्य एक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/ख्याति प्राप्त संगठन में वित्तीय और लेखा मामले के संबंध में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखाबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखाबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन : (क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अर्द्ध सरकारी संगठन/स्वशासी या कानूनी संगठनों/पब्लिक सेक्टर संस्था उपक्रमों

(12)

के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतनमान 15600-39100 रु. (वेतन बैंड-3) + 5400 रु. (ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतनमान 9300-34800 रु. (वेतन बैंड-2) + 4800 रु. (ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डिग्री हो,

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी लेखा विभाग द्वारा संचालित जे.ए.ओ. (सिविल) परीक्षा में उत्तीर्ण हो, या

(iii) जिन्होंने आई.एस.टी.एम. या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरी कर ली है और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का पांच वर्ष का अनुभव है ।

टिप्पण :

(i) प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले (उस तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गयी सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(ii) प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई एस टी सी) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है (आई एस टी सी) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(iii) प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) द्वारा नियुक्ति के लिए

	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :– 1. संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महाप्रबंधक, फरक्का बांध परियोजना —सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[मिसिल सं. 2/8/2009-ई-III]

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 2010

G.S.R. 220.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for the post of Finance Officer in the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Farakka Barrage Project, Finance Officer, (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication of this notification in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, scale of pay.**—The number of post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment and age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Finance Officer	1* post (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Ministerial	Rs. 15600-39100 (Pay Band-3) + Rs. 6600 (Grade Pay)	Not applicable	Not exceeding 40 years. **Note (1) :** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note (2) :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential :— (i) Degree from a recognised University with Commerce as a subject; and (ii) At least 5 years experience in dealing with financial and accounts matter in a recognised Institution/ Organisation or repute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recoreded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits.

(8)
Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tirbes, if any, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avaiable to fill up the vacancy reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/trasfer to be made
(11)	(12)
By deputation (including short term contract)/Absorption failing which by direct recuitment.	Deputation (including short term contract)/ Absorption : (a) Officers under the Central/State Governments/ Union Territories/Semi Government Organisation/ Autonomous or Statutory Organisations/Public Sector Undertakings : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 (Pay Band-3) + Rs. 5400 (Grade Pay) or equivalent or (iii) with six years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 9300-34800 (Pay Band-2) + Rs. 4800 (Grade Pay) or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (I) a degree from a recognised University/Institution; (II) pass in the JAO (Civil) examination conducted by any of the accounts Department of the Central/State Government; or (III) Sucessful completion of the training in Cash & Accounts work conducted by the ISTM or from any other recognised Institution and possessing five years experience in Cash, Accounts and Budget work. **Note :** (i) For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission expect where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this

(11)	(12)
	benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale in the normal replacement grade without any upgradation. (ii) Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. (iii) The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

Composition of Departmental Promotion Committee for confirmation	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Joint Secretary, MOWR —Chairman General Manager, FBP —Member Deputy Secretary/Director, MOWR —Member	Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

[F. No. 2/8/2009-E-III]

N. K. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 221.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1972 को जहां तक उनका संबंध मशीन सुपरवाइजर अरैर टेप पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग में डाटा प्रविष्टि आपरेटर समूह 'घ' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, डाटा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-घ, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या उसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमो की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डाटा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी-घ	2* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300–34800 रु. धन ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके द्वारा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-1, 5200–20200 रु. धन ग्रेड वेतन 2800 रु. में ऐसे डाटा प्रविष्टि आपरेटर जिन्होंने इस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो

(12)

भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 से पहले या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार करने की तारीख से किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गयी सेवा का विस्तार उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान पर होगा सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जिनमें बिना किसी उन्नत पद के ग्रेड वेतन या वेतनमान में सामान्य प्रतिस्थापन किया जाता है ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग के वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. धन ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में दस वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से स्नातक की डिग्री है और डाटा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 की दवाब प्रति घंटा की गति है ।

टिप्पण 1 : फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे औ इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कि उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 से पहले या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार करने की तारीख से किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा का विस्तार उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान पर होगा सिवाय इसके कि जहां एक के अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जिनमें बिना किसी उन्नत पद के ग्रेड वेतन या वेतनमान में समान्य प्रतिस्थापन किया जाता है ।